भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2655

(09 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई(जी) के अंतर्गत लाभार्थी

2655. श्री गिरीश भालचन्द्र बापटः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः
कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एक चौथाई से भी कम भूमिहीन लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (ग्रामीण) के तहत घर बनाने के लिए भूखंड प्रदान किए गए है;
(ख) यदि हां, तो चिह्नित किये गए उन भूमिहीन लाभार्थियों की महाराष्ट्र सहित राज्य-वार संख्या और प्रतिशत क्या है जिन्हें भूमि प्रदान की गई है;
(ग) क्या सरकार ने हाल ही में योजना के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम है;
(घ) क्या सरकार ने इस मामले की उन चुनौतियों को दूर करने के लिए, जैसे जिनके पास कोई भूमि नहीं है उन्हें भूमि आवंटित करनी है, के लिए राज्यों के साथ बात की है;
(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी सफलता मिली है;
(च) खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों के नामों का ब्यौरा क्या है और पक्के मकानों के निर्माण के लिए भूमि प्रदान किए गए चिह्नित भूमिहीन लाभार्थियों का प्रतिशत कितना है; और
(छ) बुंदेलखंड में बेघर लोगों का ब्यौरा क्या है और ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जिन्हें गत पांच वर्षों के दौरान पक्के मकान प्राप्त हुए थे?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (च): प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत दिनांक 08.07.2019 तक स्वीकृत किए गए 1.03 करोड़ मकानों में से अपनी आय का मुख्य भाग दिहाड़ी मजदूरी से अर्जित करने वाले 62.92 लाख भूमिहीन लाभार्थियों को मकानों की

स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जो भूमिहीनों को भूमि प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं, उनके द्वारा अभी भी 3.26 लाख भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि प्रदान की जानी है। महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत भूमिहीन लाभार्थियों जिन्हें उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाती है, को स्थायी प्रतीक्षा सूची में शीर्ष पर रखा जाता है। भूमिहीन लाभार्थी को सरकारी भूमि या सार्वजनिक सहित अन्य किसी भूमि (पंचायत की साझा भूमि, सामुदायिक भूमि या अन्य स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित अन्य भूमि) से भूमि प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन उत्तरदायी हैं। भूमिहीन पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को भूमि प्रदान करने के मामले की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उच्चतम स्तर सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा की जाती है।

(छ): पिछले 5 वर्षों के दौरान ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत सहायता हेतु चिह्नित किए गए लाभार्थियों और सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का ब्यौरा वेबसाइट https://.pmayg.nic.in पर क्रमश: E4 रिपोर्ट और A2 रिपोर्ट में उपलब्ध है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लाभार्थी स्तर तक के आंकड़े उपलब्ध हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के 13 जिलों में पिछले 5 वर्षों में ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत मकानों की संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 09.07.2019 को पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थियों के संबंध में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2655 के उत्तर के भाग (क) और (च) में उल्लिखित विवरण।

दिनांक 08.07.2019 तक अपनी आय का मुख्य भाग दिहाड़ी मजदूरी से अर्जित करने वाले भूमिहीन परिवारों को स्वीकृत किए गए मकानों और भूमिहीन लाभार्थी जिन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अभी भूमि का आवंटन किया जाना है, उनकी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या।

क्र. सं.	**राज्य**	**दिहाड़ी मजदूरी से अ□नी आय का मुख्य भाग अर्जित करने वाले भूमिहीन □रिवारों के लिए स्वीकृत किए गए मकानों की संख्या**	**भूमिहीन लाभार्थी जिन्हें अभी तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमि का आवंटन किया जाना है।**
1	अण्डमान और निकोबार	122	1083
2	आंध्र प्रदेश	56321	4806
3	अरुणाचल प्रदेश	68	0
4	असम	103676	16027
5	बिहार	860659	30151
6	छत्तीसगढ़	478906	1904
7	दादर और नगर हवेली	1136	59
8	दीव और दमन	3	189
9	गोवा	42	66
10	गुजरात	89563	3711
11	हरियाणा	16586	14
12	हिमाचल प्रदेश	909	223
13	जम्मू और कश्मीर	5663	0
14	झारखंड	180431	245
15	कर्नाटक	52568	3786
16	केरल	11946	5607
17	लक्षद्वीप	18	0
18	मध्य प्रदेश	1121132	2481
19	महाराष्ट्र	409485	89024
20	मणिपुर	2599	0
21	मेघालय	8435	820
22	मिजोरम	370	0
23	नागालैंड	413	0
24	ओडिशा	581825	45842
25	पंजाब	12376	448
26	राजस्थान	330690	25297
27	सिक्किम	147	0
28	तमिलनाडु	227530	76809
29	तेलंगाना	0	-
30	त्रिपुरा	12063	65
31	उत्तर प्रदेश	671431	0
32	उत्तराखंड	5847	68
33	पश्चिम बंगाल	1048730	17365
	कुल	**6291690**	**326090**

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 09.07.2019 को पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थियों के संबंध में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2655 के उत्तर के भाग (छ) में उल्लिखित विवरण।

पिछले 5 वर्षों में बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत जिलों में आईएवाई/पीएमएवाई-जी के अंतर्गत स्वीकृत किए गए मकानों की संख्या।

क्र. सं.	जिला	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
1	बांदा	9426	2221	7233	8821	9058	36759
2	चित्रकूट	3555	1397	5149	4009	4263	18373
3	हमीरपुर	1983	968	3118	2470	2404	10943
4	जालौन	6111	2064	4929	3302	2505	18911
5	झांसी	1629	1660	4070	3662	1803	12824
6	ललितपुर	1998	3415	3908	3107	2527	14955
7	महोबा	1903	1056	2827	1438	1992	9261
8	छतरपुर	2156	1606	9633	10319	13244	36958
9	दमोह	1853	1451	9862	14139	15506	42811
10	दतिया	786	659	2925	1132	3536	9038
11	पन्ना	1668	1483	7301	9979	13456	33887
12	सागर	2656	2256	13539	21669	23647	63767
13	टीकमगढ़	1430	1125	13096	7287	8872	31810
	कुल	**37154**	**21361**	**87590**	**91334**	**102813**	**340252**